तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]2022	वकील अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत डिक्री पर्चा बनाने पर पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट्स उपस्थित। वकील अपीलांट्स ने निवेदन किया कि उपरोक्त अपील का निर्णय धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है व अपील का निर्णय हो चुका है, परन्तु निर्णय हो जाने के साथ डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है। जो कि विधि अनुसार डिक्री पर्चा बनाना लाजमी है। अतः डिक्री पर्चा जारी करवाने का आदेश प्रदान फरमावे। वकील अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.12.2022 का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 12.12.2022 के मुताबिक न्यायालय हाजा द्वारा वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया गया तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति हेतु मुस्तहक नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया गया है। लिहाजा मामले में डिक्री पर्चा जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सलंग्न फाईल किया जाकर दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	